कार्यालय संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर,खण्डवा.

क्रमांकःउपा/वाक/दो–लेखा/2015/3942 खण्डवा, दिनांक 07.11.2015

:::निविदा:::

कार्यालय संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर खण्डवा के अंतर्गत आने वाले वृत्त कार्यालयों **(वृत्त कार्यालय खण्डवा, बुरहानपुर, खरगोन एवं सेंधवा)** के उपयोग हेतु 03 चार पहिया वाहन, **(इण्डिका विष्टा नान ए.सी.)** वाहन ग्रहण दिनांक से दिनांक 31.03.2016 तक किराये पर लिये जाना है। अतः वाहन किराये पर लिये जाने हेतु इस कार्यालय द्वारा मुहरबंद निविदाऍ दिनांक 23.11.2015 को दोपहर 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। नियत दिनांक तथा समय के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

निर्धारित दिनांक एवं समय तक प्राप्त मुहरबंद निविदाऍ उसी दिन दिनांक 23.11.2015 को शाम 4.00 बजे उपस्थित निविदाकर्ताओं अथवा उनके एक अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जाएंगी। यदि निविदाकर्ताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित नहीं रहते हैं, तो कार्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा निविदाऍ खोली जाएंगी।

वाहनो के लिये निविदा की शर्ते निम्नानुसार हैः–

1. वाहन मालिक/संस्था सर्विस टैक्स देने की पात्रता रखता हो तथा वाहन मालिक/संस्था का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में पंजीयन (पन्द्रह डिजिट का कोड नम्बर) होना अनिवार्य है।
2. वाहन डीजल एवं ड्रायवर सहित उपलब्ध कराना होगा। ड्रायवर का कमर्शियल ड्रायविंग लायसेंस वैध तिथि का होना चाहिये।
3. वाहन चालक के अवकाश पर रहने की स्थिति में दूसरा वाहन चालक उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ड्रायवर का आचरण शालीन तथा अनुशासित होना चाहिये। उसके विरूद्ध किसी भी पुलिस थाने पर कोई अपराध प्रकरण पंजीबद्ध नहीं होना चाहिये।
4. वाहनों का नियमित रूप से मैन्टेनेंस किया जाना आवश्यक है तथा वाहन में फ्यूल, मैन्टेनेंस, वाहन चालक का एवं अन्य समस्त व्यय वाहन किराये पर देने वाली ऐजेन्सी द्वारा वहन किया जाएगा।
5. समस्त शासकीय/अन्य करों आदि के नियमानुसार भुगतान वाहन एजेन्सी द्वारा वहन किया जाएगा तथा भुगतान योग्य आयंकर का नियमानुसार स्त्रोत पर कटौत्रा किया जाएगा। सेवा कर का भुगतान संस्था द्वारा किया जाएगा।
6. **अ.** किराए पर प्राप्त किए जाने वाला वाहन बीमित (Insured) होना चाहिये एवं वाहन के साथ कोई दुर्घटना होने की स्थिति में समस्त प्रकार का उत्तरदायित्व वाहन किराए पर देने वाली एजेंसी का होगा।

   ब वाहन चोरी या क्षतिग्रस्त होने पर समस्त कानूनी कार्यवाही का उत्तरदायित्व संबंधित एजेन्सी का होगा।

....2

7. मासिक किराये के तहत वाहन का उपयोग प्रतिमाह 1000 कि.मी.होगा। किसी माह में प्रवास की स्थिति में 1000 कि.मी.से अधिक उपायोग पर प्रति किलोमीटर किराये की दर पृथक से दर्शाई जाएं।

8. **वाहन मॉडल वर्ष 2013 से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये।** यदि नया वाहन क्रय कर प्रदाय किया जाता है तो तद्नुसार घोषणा पत्र सलंग्न करें। वाहन अच्छी हालत में होना चाहिए एवं उसे क्षेत्रिय परिवहन कार्यालय में टैक्सी कोटे में पंजीयत होना चाहिए। इस आशय का प्रमाण प्रस्तुत करें।

9. आवेदन में मासिक दर समस्त करों सहित दर्शायी जाए। इसके अतिरिक्त प्रतिदन का जिले के बाहर प्रवास हेतु दरें भी पृथक से दर्शाई जाए।

10. वाहन किराये पर देने वाली एजेन्सी द्वारा वाहन, सम्पूर्ण माह के लिये (अवकाश दिवसों सहित) निरन्तर वाहन चालक सहित किराये पर उपलब्ध कराया जाएगा। यदि किसी दिन वाहन उपलब्ध नहीं हुआ तो प्रत्येक दिवस के लिए आनुपातिक रूप से देय राशि के समान राशि की कटौती की जाएगी।

11. **अ.** यदि किसी दिवस लगातार 12 घण्टे से ज्यादा सेवा लोकल में ली जाती है तो रू0 100/— प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त पृथक से देय होगा।
    ब. यदि 12 घण्टें से ज्यादा के साथ रात्रि विश्राम वाहन चालक द्वारा किया जाता है तो रू0 50/— भत्ता प्रतिदिन की दर देय होगा।

12. वाहन किराए पर लेने की अवधि आवश्यकतानुसार कम अथवा अधिक की जा सकती है, जिसकी सूचना पूर्व में दी जाएगी। दोनों पक्षों की आपसी सहमति से मूल निविदा, पुरानी शर्तो के साथ अधिकतम दो बार बढ़ाई जा सकती है।

13. वाहन की टूट—फूट होने पर रिपेयरिंग का खर्च, नियमित रिपेयरिंग एवं सर्विसिंग आदि का व्यय वाहन मालिक को करना होगा। खराब होने की स्थिति में अन्य वाहन (अच्छी हालत में) उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यदि तीन दिवस तक लगातार वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उक्त वाहन की निविदा निरस्त की जा सकेगी।

14. निविदाकर्ता द्वारा रूपये 100/— के स्टाम्प पर शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्हे समस्त शर्ते मान्य है।

15. **रूपये 10,000/— की अर्नेस्ट मनी डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जो 1 नवम्बर 2015 से पूर्व का न** हो तथा उपायुक्त वाणिज्यिक कर, खण्डवा के पक्ष में देय हो, प्रस्तुत करना होगा। निविदा के साथ नियमानुसार 2 सीलबंद लिफाफे सलंग्न करना होंगे।
    प्रथम सीलबंद लिफाफा "अ." अर्नेस्ट मनी का होगा, जिस पर अर्नेस्ट मनी मय सह पत्रों के लिखा हो। **दूसरा सीलबंद लिफाफा "ब."** निविदा का होगा। सर्व प्रथम**"अ."** लिफाफा को खोलकर शर्ते पूर्ण करने वाली संस्थाओं की सूची तैयार की जाएगी। जिन संस्थाओं द्वारा शर्ते पूर्ण नहीं की जा सकेंगी उनका**"ब."** लिफाफा नहीं खोला जाएगा। तैयार की गई सूची के आधार पर निविदाकारों को न्यूनतम दरों के आधार पर प्रथम/द्वितीय सफल निविदाकार घोषित किया जाएगा। प्रथम एवं द्वितीय सफल निविदाकर्ताओं को छोड़कर शेष की अर्नेस्ट मनी वापस कर दी जायेगी।

16. निविदा को मान्य/अमान्य स्थगित करने या वाहनों की संख्या कम/ज्यादा करने का पूर्ण अधिकार संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, खण्डवा के पास सुरक्षित रहेगा।

17. निविदा स्वीकार होने पर संबंधित एजेन्सी को वाहन एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराना होंगे तथा निर्धारित प्रारूप में जानकारी (वाहन तथा वाहन चालक की) संबंधित अधोहस्ताक्षरार्थ, को देना होगी।
18. किसी भी प्रकार के विवाद/स्पष्टीकरण पर उपायुक्त वाणिज्यिक कर खण्डवा संभाग खण्डवा का निर्णय अंतिम होगा।

यह निविदा विभागीय वेब साईट www.mptax.mp.gov.in पर भी उपलब्ध रहेगी। निविदाएँ संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर भंडारिया रोड़ (म0प्र0) के पते पर डाक द्वारा अथवा व्यक्तिशः उपस्थित होकर प्रस्तुत की जा सकती है। निविदा पर प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति/ऐजेन्सी का पूरा पता एवं टेलिफोन क्रमांक/ई-मेल आईडी अंकित होना चाहिये।

कार्यालय का पताः-
संभागीय उपायुक्त
वाणिज्यिक कर खण्डवा सभांग खण्डवा
भंडारियां रोड़ अवस्थी चौराहा खण्डवा
टेलीफोन नं0 0733-2223246
मो0नं0 8989981035

(डी0सी0करोड़िया)
संभागीय उपायुक्त,
वाणिज्यिक कर खण्डवा.